कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के उम्मीदवारों का मूल्यांकन

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में, **सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद** हेतु विचारार्थ उम्मीदवारों के साथ वार्ता की, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम का यह कदम मानक स्क्रीनिंग प्रक्रिया से पृथक् था।

- **मानक स्क्रीनिंग प्रक्रिया में न्यायिक कार्यों का मूल्यांकन, खुफिया विभाग (IB) से प्राप्त जानकारी, राज्यपाल** के माध्यम से **मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्त विचार** और **न्याय विभाग की टिप्पणियाँ** शामिल होती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने यह कदम **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** के एक न्यायाधीश द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान **धर्म पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद उठाया**, जिसकी व्यापक **आलोचना की गई थी**।
  - यह आरोप लगाया गया कि उनकी टिप्पणियों ने वर्ष **1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्स्थापन (Restatement of Values of Judicial Life) का** उल्लंघन किया है।
    - यह **न्यायिक आचार संहिता है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका** तथा **निष्पक्ष** न्याय प्रशासन के लिये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।
  - **इस कृत्य ने बंगलूरू प्रिंसिपल ऑफ ज्यूडीशियल कंडक्ट, 2002 का** भी उल्लंघन किया, जो **न्यायाधीशों हेतु नैतिक मानदंड निर्धारित करता है** तथा उनके न्यायिक व्यवहार को नियंत्रित करता है।
    - यह **छह प्रमुख मूल्यों** अर्थात् **स्वतंत्रता** (Independence), **निष्पक्षता** (Impartiality), **सत्यनिष्ठ** (Integrity), **औचित्य** (Propriety), **समानता** (Equality) तथा **अभिक्षमता और कर्मठता** (Competence and Diligence) को मान्यता देता है।
- संविधान के **अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की** नियुक्ति **राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** और राज्य के **राज्यपाल के** परामर्श से की जाएगी।

//

कॉलेजियम सिस्टम

- न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 124 (2) और 217- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - राष्ट्रपति "सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों" से परामर्श करने के बाद नियुक्तियाँ करता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- लेकिन संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
  - इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
  - इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
- **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
  - राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- यह कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था। इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की
- NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी
- लेकिन NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया

आलोचना

- अपारदर्शिता
- भाई-भतीजावाद की गुंजाइश
- कार्यपालिका का बहिष्करण
- नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं

और पढ़ें: नयायकि जीवन के मूल्यों का पुनरस्थापन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/collegium-assesses-high-court-candidates